(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 329–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 14–2–2003 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल – प्रकरण कमांक 68/1998–99 पुनरावलोकन

छोटेलाल पुत्र स्व0 मुन्नीलाल
ग्राम विशनपार तहसील गंज बासोदा
जिला विदिश मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

अमान सिंह (मृतक) वारिसान
1– चन्द्रावाई पुत्री स्व.अमान सिंह
पत्नि भगवान सिंह
2– शॅकर सिंह पुत्र स्व.अमान सिंह
3– मिर्चीलाल पुत्र स्व. अमान सिंह
4– हरिप्रसाद पुत्र स्व. अमान सिंह
सभी निवासी ग्राम गुन्नौठा
तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा
बी–खिलाल सिंह पुत्र गिरधारी ग्राम गुन्नौठा
सी–अभयकुमार पुत्र हजारी निवासी
राहतगढ़ जिला सागर

डी-मौजीलाल पुत्र रामचंद डी.ए. उमराव पुत्र रामचंद
ई- किशोरीलाल पुत्र देवजू
एफ-पुरूषोत्तम (मृतक) पुत्र भागीरथ

वरिस

1. गुडडीवाई पत्नि स्व. पुरूषोत्तम
2. पुतरीवाई मृतक वारिस
   मिटठूलाल पुत्र मुन्नीलाल

निवासीगण ग्राम विशनपार तहसील
गंज बासोदा जिला विदिशा ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक 1 से 3 के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 1 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 68/1998-99 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-2-2003 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 55/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-10-1997 के पुनरावलोकन किये जाने हेतु दिनॉक 20-2-1998 को प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल ने पक्षकारों को सुनकर प्रकरण कमांक 68/1998-99 पुनरावलोकन में आदेश दिनांक 14-2-2003 पारित किया तथा पुनरावलोकन आवेदन अमान्य कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक 1 से 3 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थि रहने से एकपक्षीय है।

4/ उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि आवेदक ने निगरानी मेमो में प्रकरण कमांक 68/98-99 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-2-2003 तथा प्रकरण कमांक 55/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-10-97 लिखकर निगरानी के निराकरण की प्रार्थना की है जबकि मूल निगरानी प्रकरण कमांक 68/98-99 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-2-2003 के विरूद्ध है इसलिये अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 68/1998-99 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-2-2003 का परीक्षण कर आदेश पारित जा रहा है। आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन में आपत्ति यह की है कि जब व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 सहपठित 43 एंव संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार होना था, तब अपर आयुक्त ने प्रकरण का आदेश दिनांक 17-10-97 सेअंतिम निराकरण करने में भूल की है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 17-10-97 एंव आदेश

दिनांक 14-2-2003 एंव आदेश दिनांक 17-10-97 निरस्त किया जाय । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17-10-97 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह सही है कि अपर आयुक्त के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 सहपठित 43 एंव संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत हुआ है किंतु अपर आयुक्त व्दारा इस आवेदन पर एंव प्रकरण को गुणदोष पर श्रवण कर आदेश दिनांक 17-10-1997 पारित किया है और अंतिम आदेश दिनांक 17-10-97 में व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 सहपठित 43 एंव संहिता की धारा 32 के आवेदन का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया गया है जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल का प्रकरण कमांक 68/1998-99 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-2-2003 Speaking Order की श्रेणी में होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 68/1998-99 पुनरावलोकन में आदेश दिनांक 14-2-2003 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर